झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 446/2019

-----

1. फुलेश्वर दास
2. श्यामसुंदर दास।
3. लक्ष्मण रबिदास
4. शंकर दास
5. संजय कुमार दास
6. नरेंद्र दास
7. सुनील दास
8. पुलिस रबिदास
9. रामचंद्र दास
10. महेंद्र दास
11. बिनोद कुमार दास
12. सीताराम दास
13. सिकंदर दास
14. बहादुर लइया
15. राकेश कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. उपायुक्त, गोड्डा
3. अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।
4. अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर, गोड्डा।

..... उत्तरदाता

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्रीमती गौरी देवी, एड.

उत्तरदाताओं-राज्य की ओर से : श्री प्रशांत पल्लव, जीए-IV

<u>आदेश सं. 03 : दिनांक 20 सितम्बर, 2019</u>

यह तत्काल सिविल विविध याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7021 /2017 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे अनिवार्य आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती गौरी देवी ने निवेदन किया कि कार्यालय द्वारा दोष बताया गया था कि अनुलग्नक -4 की फोटोकॉपी प्रस्तुत करना है। चूंकि वह सुपाठ्य नहीं था, इसलिए, उस फोटोकॉपी के साथ टाइप की गई प्रति भी दायर की गई, लेकिन आदेश की प्रकृति को देखते हुए, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

इसे ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल करने की प्रार्थना की गई है। ऐसा न होने पर याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।

यह न्यायालय, उक्त निवेदन और याचिका में दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, तत्काल याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार करना उचित और युक्तिसंगत समझता है चूंकि ऐसा न होने पर याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 7021 /2017 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाल किया जाता है। तदनुसार, तत्काल सिविल विविध याचिका की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

सौरभ/राजा